

कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

website:www.education.rajasthan.gov.in/elementary

कार्यालय आदेश


निम्नांकित परीवीक्षाधीन कार्मिको को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा,की अभिशंषा पर कार्मिको को उनके नाम के सामने अंकित विश्वविद्यालय से पत्राचार पाठ्यक्रम अन्तर्गत स्वयं के व्यय पर अध्ययन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०स०	जिला	नाम कार्मिक/पदस्थान	संबंधित विश्वविद्यालय का नाम/वर्ष
1.	बाड़मेर	औमप्रकाश,अध्यापक राउप्रावि,महादान सिंह की ढाणी,सनाउ प.स. चौहटन	पत्राचार बी.एड अनुमति इग्नू नई दिल्ली वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
2.	बाड़मेर	संजय राजपुरोहित ,अध्यापक,राउप्रावि, महादान सिंह की ढाणी,सनाउ प.स. चौहटन	पत्राचार बी.एड अनुमति इग्नू नई दिल्ली वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
3.	बाड़मेर	बुधाराम सियाक,अ. राउप्रावि,कातरला गांव प.स. धोरीमनगा	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
4.	बाड़मेर	धिमाराम,अ. राप्रावि,बीलासर नाडी प.स. चौहटन	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)
5.	चित्तौड़गढ़	हनुमान सिंह कविया अध्यापक,राउप्रावि, जोयडा,प.स. भूपालसागर	पत्राचार बी.एड अनुमति वर्धमान महावीर खुला विश्व.कोटा वर्ष 2019-21 (प्रथम वर्ष)

उपरोक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- कार्मिक को अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।
- आशार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के गलत पाये जाने पर अनुशा कभी भी समाप्त की जा सकती है।
- पाठ्यक्रम की वैधता न होने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार से मान्यता न होने की स्थिति में संबंधित कार्मिक उत्तरदायी होगा,तथा किसी भी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा।
- कार्मिक को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- सत्र 2020-21 हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

निदेशक की आज्ञा से



उपनिदेशक(पंराज)

प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा / प्रारं / शि.स / एफ-4 / पत्रा.बीएड.अनु / समस्त.म / 2020 / दिनांक:-17.02.2020

प्रतिलिपी:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)प्रारंभिक शिक्षा, बाड़मेर / चित्तौड़गढ़
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,समग्र शिक्षा अभियान.....।
- पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी,.....।
- संबंधित अध्यापक राप्रावि/राउप्रावि,..... जिला।
- रक्षित पत्रावली।


उपनिदेशक(पंराज)
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर